

जानकी प्रसाद बनाम प्रेमवती

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए</p>
<p>25.10.24</p>	<p>वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 एवं अवेटमेंट प्रस्तुत हुयी।</p> <p>वकील अपीलाण्ट का कथन रहा है कि प्रकरण में अपीलाण्ट संख्या 01 जानकी प्रसाद पुत्र श्री मोतीराम का निधन दिनांक 02.12.2020 को अपीलाण्ट संख्या 02 नेमीचन्द पुत्र मोतीराम का भी निधन हो चुका है। अतः उनके विधिक प्रतिनिधि को रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में अंकित अपीलाण्ट संख्या 01 व 02 के विधिक प्रतिनिधियों को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2014-15 पेज 414, डीएनजे 2023(2) पेज 1265 का उद्धरण प्रस्तुत किया।</p> <p>वकील रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थना पत्र बदनीयती, दुर्भावनापूर्वक एवं गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र में अपीलाण्ट संख्या 02 की मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की गयी है। इसलिये समयावधि की गणना किया जाना संभव नहीं है। यह है कि अपीलाण्ट संख्या 01 का निधन दिनांक 02.11.2020 को एवं अपीलाण्ट संख्या 02 का निधन दिनांक 30.03.2019 को हुआ है। परन्तु अपीलाण्ट ने उनके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही तय समय सीमा में नहीं की गयी है एवं प्रार्थना पत्र में देरी का भी कोई समुचित कारण अंकित नहीं किये हैं। अपीलाण्ट ने ना तो प्रार्थना पत्र में अवेटमेंट को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है एवं ना ही डिले कंडोन कराने की ही प्रार्थना की गयी है। अतः अपीलाण्ट अवेटमेंट को निरस्त करा पाने के अधिकारी नहीं होते हैं। उपरोक्त स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वतः अवेट हो गयी है। अंत में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 को खारिज करते हुये, अपील अपीलाण्ट को इसी स्तर पर अवेट किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2022(4) पेज 1435 का उद्धरण प्रस्तुत किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट स्वयं अपने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 में अपीलाण्ट संख्या 01 की मृत्यु दिनांक 02.11.2020 को होना अंकित करते हैं एवं रैस्पो0 संख्या 02 की मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की है, रैस्पो0 अपीलाण्ट संख्या 02 की मृत्यु दिनांक 30.03.2019 में होना अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित करते हैं। अपीलाण्ट ने मृतक अपीलाण्ट संख्या 01 की कायम मुकाम कार्यवाही मृत्यु की दिनांक 02.11.20 से लगभग 4 साल बाद एवं अपीलाण्ट संख्या 02 की मृत्यु दिनांक 30.03.2019 से लगभग 5 साल बाद की है। अपीलाण्ट ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 में ना तो अवेटमेंट को निरस्त कराने की प्रार्थना की गयी है एवं ना ही धारा 5 मियाद अधिनियम</p>	<p></p>

अधीकारी  
अधीकारी  
अधीकारी

का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया है। जिससे उन्हें कोई लाभ मिल सके। इस प्रकार अपनी स्वयं की लापरवाही के रहते अनुतोष प्राप्त करने की पात्रता क्षीर्ण होती है। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट तय समय सीमा में कार्यवाही नहीं करने के कारण स्वतः ही अवेट हो जाती है। अभिभाषक रैस्पों के न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्ण चर्चा होते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट जरिये अवेट खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें। निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा श्रुतलेख कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनिल आर्य)

आर०ए०एस०

भू प्रबन्ध अधिकारी

पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी

भरतपुर